राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर ।

:: आ दे श ::

राधेश्याम जोशी वगैरा। बनाम् जिलाधीश, सीकर वगैरा।

एकलपीठ सिविल याचिका संख्या-5244/1997 अन्तर्गत
अनुच्छेद 226 व 227 भारतीय संविधान.

आदेश दिनांक:- **नवम्बर 29, 2006**

उ प स्थि त

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री रामसिंह राठौड़, अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्षी सं0 2.
प्रतिपक्षी संख्या-3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

न्यायालय द्वारा-

(1) इस रिट याचिका में प्रार्थी ने जिलाधीश, सीकर के आदेश दिनांक-9.6.1997 (प्रदर्श-8) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा पूर्णाराम (प्रतिपक्षी क्रम-3) द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी याचिका को स्वीकार किया है तथा ग्राम पंचायत, धोद (प्रतिपक्षी सं.2) के आदेश दिनांक 2.9.1981, जिसके द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया था, को निरस्त किया गया है।

(2) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

(3) निर्विवाद रूप से जो निगरानी याचिका पूर्णाराम (प्रतिपक्षी सं.2) द्वारा जिलाधीश, सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, वह पन्द्रह वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गई थी तथा निगरानी याचिका विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई यथोचित आधार नहीं बताया गया था, फिर भी जिलाधीश, सीकर ने निगरानी याचिका प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब पर कोई ध्यान नहीं दिया है और पन्द्रह वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गई निगरानी याचिका को स्वीकार कर लिया है। मेरा यह निश्चित मत है कि जिलाधीश,सीकर का आक्षेपित आदेश दिनांक- 9.6.1997 (प्रदर्श-8) अवैध है तथा निरस्तनीय है।

(4) परिणामत: यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। जिलाधीश, सीकर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक- 9.6.1997 (प्रदर्श-8) निरस्त किया जाता है तथा ग्राम पंचायत, धोंद का आदेश दिनांक- 2.9.1981, जिसके द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया था, की पुष्टि की जाती है। याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना-अपना वहन करेगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)

एमसीएस